उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P POWER CORPORATION LIMITED

(GOVT. OF Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग लखनऊ–226001

संख्या–43–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2009–100(1) प्र0सु0/92. दिनॉक २० जनवरी,2009.

कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या–516–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2008–100(1)प्र0सु0/92 दिनॉक 03.12.2008 द्वारा वितरण इकाईयों में कार्यरत लिपिकों (कार्यालय सहायक–प्रथम/द्वितीय/तृतीय) तथा तकनीशियन ग्रेड–2 लाईन (लाईनमैन) को उनके गृह जनपद से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश निर्गत किए गए थे। प्रश्नगत प्रकरण में विभिन्न कर्मचारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों/सुझावों के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद में अनियमितता करने वाले एवं लम्बे समय से कार्यरत लिपिकीय/परिचालकीय संवर्ग के कर्मचारियों को चिन्हित करने हेतु एतद्द्वारा एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:–

1.	संबंधित अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)/पारेषण	अध्यक्ष
2.	संबंधित अधिशाषी अभियन्ता (वितरण)/(परीक्षण)/(पारेषण)	सदस्य एवं संयोजक
3.	विद्युत वितरण खण्ड के वरिष्ठतम उपखण्ड अधिकारी	सदस्य

उक्त समिति लिपिकीय/परिचालकीय संवर्ग के अनियमितता करने वाले एवं लम्बे समय से कार्यरत कर्मचारियों को चिन्हित कर अपनी अनुशंसायें सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (वितरण) क्षेत्र को प्रस्तुत करेगी। जिसके आधार पर कार्यालय सहायक–प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं तकनीशियन ग्रेड–2 (लाईन) का स्थानान्तरण गृह जनपद से बाहर किया जायेगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या–43–(1) ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2009 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से सबद्ध मुख्य महाप्रबधक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. फैक्स — प्रबंध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।
5. समस्त निदेशकगणों से संबद्ध निजी सचिव उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. फैक्स — प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे तत्काल अपने प्रशासनिक नियन्त्रण के प्रत्येक इकाई हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन कर कारपोरेशन को सूचित करें।
7. फैक्स — मुख्य अभियन्ता (वितरण) मध्याचंल/पूर्वाचंल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/लेसा/फैजाबाद/बरेली/वाराणसी/इलाहाबाद/आजमगढ़/गोरखपुर/मेरठ/सहारनपुर/मुरादाबाद/ आगरा/झॉसी/कानपुर/बॉदा/अलीगढ़, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे तत्काल अपने प्रशासनिक नियन्त्रण के प्रत्येक इकाई हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन कर कारपोरेशन को सूचित करें।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2) उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0 ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अपर सचिव (द्वितीय)/(अराजपत्रित)/(काविनी)/महाप्रबन्धक (औ0सं0) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशाषी अभियन्ता (वेबसाइट) को कारपोरेशन की वेबसाइट में अपडेशन हेतु।
13. समस्त संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी/शिविर, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बाल कृष्ण भट्ट)

अपर सचिव (का0प्र0–प्रथम)